N.C.R.B/एन.सी.आर.बी

I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0262 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 08/10/2025 12:36 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(1)(b)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	13(2)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 20/08/2025 **Date To (दिनांक तक):** 28/08/2025

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:00 बजे **Time To (समय तक):** 18:35 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 08/10/2025 **Time (समय):** 12:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 08/10/2025 12:36:46 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 75 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABI

(b) **Address(पता):** MANGROL ROAD BARAN

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): ANISH AHMED

(b) Father's Name (पिता का नाम): BABUKHAN

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 15/07/1973 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	71, RAILWAY HOUING SOCIETY, BAJRANG NAGAR, BORKHERA, KOTA CITY, RAJASTHAN, 324001, INDIA
2	स्थायी पता	716, SHASTRI NAGAR, BHILWARA, RAJASTHAN, 324001, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	ANKIT SHARMA		पिता:NANDKISHOR SHARMA	1. 12,MEENA COLONY,PARSHURAM NAGAR,MANTOWN,SAWAI MADHOPUR,RAJASTHAN,INDIA
2	RAVIKANT MEENA		पिता:JASRAM MEENA	1. GRAM LALARAMPURA,TODABHEEM,KARAULI,RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		1,40,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 1,40,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

महोदय,हालात इस प्रकार है कि दिनांक 20.08.2025 को श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो कोटा को गोपनीय सूत्रो से जानकारी प्राप्त हुई कि - श्री अंकित शर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, बारां में पदस्थापित हैं तथा उसका लोक कृत्य भ्रष्ट होकर, उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है, जिसके सत्यापन हेतु श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि 140 को अपने कक्ष में बुलाकर उक्त सूत्र सूचना के बारे में अवगत कराया उक्त गोपनीय सूत्र सूचना के सत्यापन हेतु श्री नरेन्द्र सिंह हैड कानि 140 को गोपनीयता की हिदायत दी जाकर जिला बारां रवाना किया गया। श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140 गोपनीय सूत्र सूचना का सत्यापन कर वापस चौकी हाजा आया और बताया कि "मै चौकी से रवाना होकर बारां पहुंचा वहा विश्वसनीय सूत्रो से जानकारी हुई कि श्री अंकित शर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, बारां में पदस्थापित हैं तथा उसका लोक कृत्य भ्रष्ट होकर, उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। श्री अंकित शर्मा की आम छवि खराब है तथा श्री अंकित शर्मा द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों के लिए टेण्डकर्ताओं को डरा धमकाकर सुविधा शुल्क अवैध रूप से प्राप्त किया जा रहा है, श्री अंकित शर्मा टेण्डरकर्ताओं के कार्य स्थल सें निर्माणाधीन भवन इत्यादि के बिल पास करवाने एवं निर्माण कार्य में रियायत देने के नाम पर सुविधा शुल्क स्वंय प्राप्त करके अपने घर पर स्वंय के वाहन मोटर साईकिल MP 47 MJ 8022 से लेकर आता हैं। सूत्र सूचना व नरेन्द्र कानि हैड कानि 140 द्वारा सत्यापन निगरानी हालात से श्री अंकित शर्मा के उक्त भ्रष्ट आचरण व अवैध राशि के संकलन की पुष्टि हुई।दिनांक 26.08.2025 समय 11.45 ए.एम. पर श्री विजय स्वर्णकार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रनिब्यूरो कोटा ने मन् अनिष अहमद उप अधीक्षक पुलिस को उक्त सूत्र सूचना से अवगत कराया तथा अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिए। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा सूत्र सूचना के क्रम में श्री नरेन्द्र सिहं हैड कानि 140 से सत्यापन निगरानी के संबंध में विचार विमर्श किया, सूत्र सूचना के मुताबिक "श्री अंकित शर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड, बारां में पदस्थापित हैं तथा उसका लोक कृत्य भ्रष्ट होकर, उसके द्वारा भ्रष्ट आचरण पूर्वक लोक कर्तव्यों का निर्वहन किया जा रहा है। श्री अंकित शर्मा की आम छवि खराब है तथा श्री अंकित शर्मा द्वारा राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड कोटा के अधीन चल रहे निर्माण कार्यों के लिए टेण्डकर्ताओं को डरा धमकाकर सुविधा शुल्क अवैध रूप से प्राप्त किया जा रहा है, श्री अंकित शर्मा टेण्डरकर्ताओं के कार्य स्थल से निर्माणाधीन भवन इत्यादि के बिल पास करवाने एवं निर्माण कार्य में रियायत देने के नाम पर सुविधा शुल्क स्वंय प्राप्त करके अपने घर पर स्वंय के वाहन मोटर साईकिल MP 47 MJ 8022 से लेकर आता हैं"। उक्त सूत्र सूचना के क्रम में विश्वसनीय सूचना प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जानी हैं अतः समय 04.00 पी.एम. पर श्री योगेश कानि. 291 को कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा के नाम गवाह तलबी तहरीर क्रमांक 1488 दिनांक 26.08.2025 दी जाकर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो कर्मचारी को दिनांक 27.08.2025 को प्रातः 8 बजे कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने के लिए कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा रवाना किया गया। समय 05.30 पी.एम. पर श्री योगेश कानि. 291 ने कार्यालय अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग क्षेत्रीय कार्यालय कोटा से वापसी पर बताया कि तहरीर पर दो स्वतंत्र गवाह श्री अजीत सिंह पुत्र स्व श्री मोहन सिंह जाति राजपूत उम्र 53 साल निवासी- बी-107, कैलाशपुरी, कैनाल रोड कुन्हाडी शंभुपुरा थाना कुन्हाडी जिला कोटा शहर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर- [redacted] व श्री विनोद गुप्ता पुत्र स्व श्री सत्यनारायण

गुप्ता जाति महाजन उम्र 49 साल निवासी- 903, महावीर नगर द्वितिय थाना महावीर नगर, जिला कोटा हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा राजस्थान मोबाईल नम्बर-[redacted]को दिनांक 27.08.2025 को प्रातः 7.30 बजे कार्यालय मे उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर कार्यालय हाजा उपस्थित आया हूं।दिनांक 27.08.2025 समय 7.45 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अजीत सिंह हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, व श्री विनोद गुप्ता हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा राजस्थान, कार्यालय हाजा उपस्थित आये। उक्त स्वतंत्र गवाहान् से आपसी परिचय कर उनकों गोपनीय कार्यवाही से अवगत कराया तथा कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने के संबंध में पूछा तो दोनों ने कार्यवाही मे बतौर स्वतंत्र गवाह रहने सहमति दी। समय 08.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय सरकारी जीप सें श्री मनोज कुमार कानि 211, श्री अभिषेक कानि 197, श्री योगेश कुमार कानि 291 व श्री रवि कुमार कानि 285 व चालक श्री महेन्द्र सिहं कानि 507 को बारां के लिए रवाना कर पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री अजीत सिहं एवं श्री विनोद गुप्ता हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, मय चालक श्री तवर सिहं कानि 506 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के गोपनीय कार्यवाही के लिए जिला बारां के लिये रवाना हुआ। समय 07.00 पी.एम. तक गोपनीय सूत्र सूचना के क्रम में बारां शहर में मामूर रहे किन्तु मुताबिक सूचना के सफलता नहीं मिलने से मन् उप अधीक्षक पुलिस मय हमराहियान मय वाहनो के बारां शहर से कार्यालय एसीबी कोटा के लिए रवाना होकर समय 09.00 पी.एम. कार्यालय एसीबी कोटा वापस आया दोनो स्वतत्र गवाहान को दिनांक 28.08.2025 को समय 8.00 एएम पर कार्यालय हाजा मे उपस्थित आने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया।दिनांक 28.08.2025 समय 07.00 ए.एम. पर मन उप अधीक्षक पुलिस को गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि श्री अंकित शर्मा आज दिन में अवैध सुविधा शुल्क प्राप्त करेगा तथा मांगरोल की तरफ से बारां, शहर की तरफ स्वंय के वाहन मोटर साईकिल MP 47 MJ 8022 से आयेगा। सूचना विश्वसनीय होने सें समस्त जाब्ते को सूचित कर समय 8.00 ए.एम. पर कार्यालय आने की हिदायत की गई। समय 08.00 ए.एम. पर पूर्व से पाबन्दशुदा स्वतंत्र गवाह श्री अजीत सिंह व श्री विनोद गुप्ता कार्यालय हाजा उपस्थित आये, समय 08.30 ए.एम. पर श्री अंकित शर्मा सहायक अभियंता राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां के वाहन मोटर साईकिल MP 47 MJ 8022 की मुताबिक सूत्र सूचना निगरानी हेतु सरकारी जीप सें श्री मनोज कुमार कानि 211, श्री अभिषेक कानि 197, श्री योगेश कुमार कानि 291 व श्री रवि कुमार कानि 285 व चालक श्री महेन्द्र सिहं कानि 507 को बारां के लिए रवाना कर पीछे पीछे मन् उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान श्री अजीत सिहं एवं श्री विनोद गुप्ता हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय, अतिरिक्त निदेशक स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, क्षैत्रीय कार्यालय कोटा, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305, मय चालक श्री तवर सिहं कानि 506 मय सरकारी वाहन बोलेरो मय लेपटॉप, प्रिन्टर एवं आवश्यक सामग्री के कार्यवाही के लिए जिला बारां के लिये रवाना होकर समय 10.20 ए.एम. पर मांगरोल रोड बारां पहुँचा तथा सूत्र सूचना के मुताबिक वांछित सूचना की गोपनीय निगरानी में मय जाप्ता वाहनो की एवं स्वय की उपस्थिति छुपाते हुए मुकीम हुआ, समय 06.25 पी.एम. पर गोपनीय सूत्रों से ज्ञात हुआ कि श्री अंकित शर्मा एक व्यक्ति के साथ अपनी मोटरसाईकिल सें बारां की तरफ आ रहा हैं, जिस पर मेरे द्वारा सभी स्टाफ व गवाहान को मुश्तैद किया गया। समय 06.35 पी.एम. पर एक मोटरसाईकिल नम्बर- MP 47 MJ 8022 मांगरोल की तरफ से आती हुयी दिखाई दी जिसको मन् पुलिस, उप अधीक्षक, स्वतंत्र गवाहान व ब्यूरो टीम के साथ रूकवाने के लिए इशारा किया तो उनके द्वारा अपनी मोटरसाईकिल को साईड सें निकालकर भागने का प्रयास किया गया, जिनको बमुश्किल जाब्ते की मदद से रोका गया, श्री योगेश कुमार कानि 291 से वीडियो रिकार्डिंग शुरू करवायी गयी। मोटरसाईकिल में बैठे हुये सफेद लाईनदार शर्ट एवं काली जीन्स पेंट एवं हल्का बैंगनी रंग की शर्ट एवं नीले रंग की जीन्स पहने हुये एवं व्यक्तियों को मोटरसाईकिल साईड मे खडी करवाकर मन् उप अधीक्षक पुलिस ने स्वयं का, स्वतंत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ का परिचय देते हुए आने के मन्तव्य से अवगत करवाया गया व नाम पता पूछा तो उक्त व्यक्तियों मे से सफेद लाईनदार शर्ट एवं काली जीन्स पेंट पहने हुये ने अपना नाम रविकांत मीणा पुत्र श्री जसराम मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी- ग्राम लालारामपुरा तहसील टोडाभीम थाना बालघाट जिला करौली हाल निवास- उत्तम गुप्ता का मकान, बसंत विहार द्वादस ज्योतिर्लिंग कोलोनी, बारां हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां मोबाईल नम्बर-[redacted] बताया तथा हल्का बैंगनी रंग की शर्ट एवं नीले रंग की जीन्स पहने हुये व्यक्ति ने अपना नाम अंकित शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 34 साल निवासी- प्लॉट नम्बर-12, मीणा कोलोनी, परशुराम नगर, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर हाल किरायेदार श्री नवलकिशोर नागर का मकान, मकान नम्बर -9, न्यू नाकोडा कोलोनी बारां हाल सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां मोबाईल नम्बर-[redacted] होना बताया, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उपरोक्त दोनों व्यक्तियों को स्वयं, हमराहियान, स्वतंत्र गवाहान की जामा तलाशी लेने हेतु कहे जाने पर सदभावना पूर्वक इंकार किया गया। श्री अंकित शर्मा से पूछा गया कि हमें विश्वनीय सूत्रों से सूचना मिली हैं कि आप आपके विभाग के आपके अधीन चल रहे निर्माण कार्यों के कार्य स्थल सें सुविधा शुल्क (रिश्वत)

स्वंय प्राप्त करके अपने साथ लेकर आ रहे हैं, अतः हम आपकी एंव आपके बेग की तलाशी लेंगे आपके पास कोई वैध अथवा संदिग्ध राशि हैं तो उसके बारे में बतायें इस पर श्री अंकित शर्मा ने बताया कि मेरे बेग में राशि रखी हुई, हम हमारे दोस्त दीपक शर्मा से दोनों के लिए 50-50 हजार रू. उधार लेकर आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त ओर कोई राशि मेरे बेग में नहीं हैं, इसके पश्चात स्वतंत्र गवाह श्री विनोद गुप्ता से रविकांत की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों सें पेंट की पीछे की जेब सें 1075 रू. तथा पेंट की आगे की जेब में मोबाईल सैमसंग कम्पनी मॉडल गैलेक्सी एम.-32, स्लॉट-1, सीम नम्बर-[redacted] .मिला जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया, तत्पश्चात श्री रविकांत मीणा के नीले रंग के बेग जिस पर अंग्रेजी में safari लिखा हुआ हैं कि तलाशी लिवाई गई तो बेग के अन्दर निम्न सामान मिले-1. एक Casio कम्पनी का केल्कुलेटर।2. एक Freemans कम्पनी का गोल फीता।3. एक एम.बी. लाल रगं की जिस पर M/S Bhagwati Const SJED Hostel/ Mangrol MB No-3315 लिखा हुआ हैं।4. एक एम.बी. लाल रगं की जिस पर 3316 जिस पर Name of Repair And maintence of Govrnment Savotri Bai Phule Hostel At Raithal लिखा हुआ है।5. एक एम.बी. लाल रगं की जिस पर M/S Surendra kr Gupta TAD Kishanganj 2024-25 तथा 3273 Samraniya लिखा हुआ है।6. एक नीले रंग की रिकॉर्ड फाईल जिस पर नं. 400 मांगरोल सब यार्ड एवं अन्य नाम लिखे हुये है, जिसमें रविकांत मीणा के अधीन चल रहे कार्यों की डिटेल हैं।7. Gradation of Grit 10 20 mm nominal size कि कुल 4 तथा Gradation sheet of coarse sand कि कुल 6 शीट।8. एक डायरी जिस पर कृषक जगत 2024 लिखा हुआ है पीले एंव हरे रंग की जिसके अन्दर विभागीय कार्यो का मेजरमेंट इत्यादि लिखा हुआ हैं।9. एक प्लास्टिक के केसरिया कवरS का Goyal Neelkama स्पाईरल रजिस्टर जिसके अन्दर विभागीय कार्यो का मेजरमेंट इत्यादि लिखा हुआ हैं।10. एक हरे एवं पीले रंग का Gopi Vidhyalekhan लिखा हुआ रजिस्टर जिसके अन्दर विभागीय कार्यो का मेजरमेंट इत्यादि लिखा हुआ हैं ।11. एक INDI-19 Made In India इन्चटेप।12. चार पेन।उक्त सभी सामानो को स्वतंत्र गवाह विनोद गुप्ता सें वापिस बेग में रखवाया गया तथा तत्पश्चात श्री अंकित शर्मा की तलाशी लिवाई गई तो उसके पहने हुये कपडों से पेंट की जेब सें 1100 रू. तथा एक मोबाईल रियल मी कम्पनी मॉडल नाईन प्रो, जिसके स्लॉट-1 में सीम नम्बर-[redacted] दूसरे नं. के स्लॉट में[redacted] हैं, जिनको स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया गया, तत्पश्चात श्री अंकित शर्मा के ग्रे रंग के बेग जिस पर अंग्रेजी में Fastrack लिखा हुआ हैं कि तलाशी लिवाई गई तो बेग के अन्दर निम्न सामान मिले-1. एक कार की चाबी टाटा नेक्सोन की।2. एक छोटी कोलगेट पेस्ट।3. एक पेंसील।4. एक फीता गोल लाल रंग का।5. चार एम.बी. लाल रगं की, 3293, 3277, 3292, 3279, 3278 जिन पर डधृ राधा माधव एण्ड कम्पनी पैकेज शाहबाद 01/24-25 तथा हुआ हैं ।6. मैसर्स राधा माधव एण्ड कम्पनी बांरा का 3तक 3rd Running Bill Work NAME Costrucion of various Bilding work under package No. Shahbadd- 01/TAD Naran/ 2024-2025 लिखा हुआ है।7. विभाग के सभी कर्मचारियों की जी.पी.एफ की सूचना जो राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड जयपुर से लाना बताया है।8. एक डायरी 2019 की जिसमें विभागीय नाप इत्यादि लिखे हुये है।9. एक सफेद रंग का केरीबेग (थैली) जिसके अन्दर 500-500 के नोटों की तीन गड्डिया, जिनको स्वतंत्र गवाह श्री विनोद गुप्ता सें गिनवाया गया तो कुल नोट 280 कुल राशि 1,40,000/- रूपये होना पायी गयी।10. उपरोक्त में से सफेद रंग के केरीबेग (थैली) के अन्दर मिले 500-500 के नोटों की तीन गड्डिया, में कुल 280 नोट कुल राशि 1,40,000/- रूपये को केरीबेग (थैली) सहित स्वतंत्र गवाह के पास सुरक्षित रखवाया तथा अन्य समस्त सामानों को बेग में यथावत रखवाया गया।बेग में मिली राशि 1,40,000 रू. बाबत अंकित शर्मा से पूछा तो अंकित शर्मा ने बताया हमने तो एक लाख रूपये ही उधार लिये थे ये 40,000 रू. की राशि मेरे बेग में कंहा से आई मुझे पता नहीं हैं तथा फिर कहा कि मेरा बेग रखा हुआ था किसी ने रख दिये होंगे, जवाब संतोषप्रद नहीं होने तथा उपरोक्त तलाशी के दौरान मौके पर भीडभाड होने व सांयकाल का समय होने से तथा मौके पर अंधेरा होनेवाला होने से कार्यवाही के लिए उपयुक्त स्थान पर जाना अति आवश्यक होने से कार्यालय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां पहुंचकर कार्यवाही किया जाने का निर्णय लिया गया, इसके पश्चात श्री अंकित शर्मा की मोटरसाईकिल को लेकर आने के लिए श्री नरेन्द्र सिंह एवं श्री अभिषेक कानि. को हिदायत की तथा अन्य जाब्ता मय स्वतंत्र गवाहान मय तलाशी में मिली राशि एवं मोबाईल के सरकारी वाहन जीप में बैठाया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस, श्री रवि कुमार कानि. एंव श्री योगेश कानि. मय डिटेनशुदा श्री अंकित शर्मा एंव श्री रविकांत मीणा को मय बेग के सरकारी वाहन बोलेरो में बैठाकर एसीबी चौकी बारां पर समय 7.02 पी.एम. पर पहुंचा, जंहा श्री प्रेमचंद मीणा, उप अधीक्षक पुलिस, भ्र.नि.ब्यूरो से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार कार्यालय हाजा पर भ्र.नि. ब्यूरो बारां का स्टाफ उपस्थित मिला। कार्यालय कक्ष में अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई।श्री अंकित शर्मा से उधार ली गई राशि बाबत पूछा की आपने ये राशि किससे, किस बाबत तथा कब उधार ली हैं तो अंकित शर्मा ने बताया कि हम दोनों ने नगर पालिका बारां के सामने मेरे दोस्त श्री दीपक शर्मा जो कोटा के रहने वाला हैं तथा उनके पिताजी का हमारे विभाग के अधीन समसपुर गांव में राजकीय एग्रीकल्चर कोलेज के निर्माण का कार्य चल रहा हैं से हमको जरूरत होने से 50-50 हजार रू. दोनों ने उधार लिये हैं, जो मेरे बेग में रखे हुये थे, मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बाकी के 40,000 रू. बाबत पूछा तो दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया गया तथा तलाशी में मिली राशि के बारे में श्री अंकित शर्मा ने बताया कि मैं मेरे घर से खर्चे के लिए 3000 रू. लेकर आया था उसमें सें ये राशि बची हुई थी तथा श्री रविकांत मीणा ने बताया कि मैं भी घर से खर्चे के

लिए लाया था उसमें सें ये राशि मेरी जेब में बची हुई थी। श्री अंकित शर्मा के बेग में मिली राशि 1,40,000 रू. के बारे में दिया गया जवाब की इसमें सें एक लाख रू हम हमारे दोस्त दीपक शर्मा सें दोनों के लिए 50-50 हजार रू. उधार लेकर आये थे तथा 40,000 रू. किसी ने रख दिये होंगे, संतोषप्रद नहीं होने सें, उपरोक्त दिये गये जवाब की पुष्टि किये जाने हेतु श्री अंकित शर्मा व रविंकात से दीपक सें बात करने के लिए कहा तो दोनो ने कहा कि हमारे पास दीपक शर्मा के मोबाईल नम्बर हैं, आप बात कर लो हम ये पैसे दीपक शर्मा से ही लेकर आये हैं, इस पर श्री योगेश कुमार कानि. से मोबाईल पर विडियो रिकॉर्डिंग चालु करवाई गई तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अंकित शर्मा एवं रविकांत मीणा से पूछा कि आपका कहना हैं कि आपने और इन्होने दीपक शर्मा जी से 50-50 हजार रूपये उधार लिये हैं यही कहा था आपने, इस बात की पुष्टि हम दीपक जी से करना चाहेंगे, ठीक हैं, यह आपका फोन हैं यह दीपक जी के नम्बर हैं, जिनसें आप पैसे लाये हैं मिलाओ इसको इस पर श्री अंकित शर्मा ने अपने मोबाईल नम्बर 7727977714 से दीपक शर्मा के मोबाईल नम्बर 9828151002 पर स्पीकर ऑन कर कॉल लगाया तथा मन उप अधीक्षक पुलिस ने कॉल रिसिव करने पर पूछा कि दीपक जी बोल रहे हैं, इस पर उसने कहा कि हां जी बोल रहा हूं, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने कहा कि दीपक जी में अनीष अहमद बोल रहा हूं डीप्टी एस.पी. एसीबी कोटा से, दीपक जी हमने ये अंकित शर्मा जी व रविकांत जी हैं, कनिष्ठ अभियंता ओर सहायक अभियंता कृषि विपणन बोर्ड इनको रोका हैं और इनके पास से कोई राशि बरामद करी हैं, इनका कहना हैं कि आपसे इन्होने पैसे उधार लिये हैं क्या यह बात सही हैं, तब दीपक ने कहा कि नहीं सर मेरे से कोई उधार नहीं लिये पैसे, फिर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दीपक शर्मा सें पूछा कि दोनों का कहना हैं कि आपसे इन्होने पचास-पचास हजार रूपये उधार लेना हमे बताया हैं क्या यह बात सही हैं, तब दीपक शर्मा ने कहा कि नहीं सर मेरे से कोई उधार नहीं लिये इन्होने, फिर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दीपक से कहा कि- आजकल परसों कल किसी प्रकार का कोई लेनदेन किया उधार, इस पर दीपक शर्मा ने कहा कि नहीं नहीं सर मेरे से कोई लेनदेन नहीं की इन्होने, तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस ने उपरोक्त दोनों श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकातं से पूछा कि आपने कहा की दीपक शर्मा जी सें 50-50 हजार रू. उधार लिये किन्तु वो तो साफ इन्कार कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना हैं इस पर दोनों मौन रहे तथा बार-बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं दिया। उपरोक्त दोनों श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा के आवास की खानातलाशी के क्रम में श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा को निवेदन किया गया।श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा दोनों एक ही कार्यालय राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बांरा में पदस्थापित होने तथा दोनों के विभाग के अन्तर्गत किये जा रहे निर्माण कार्यो के कार्य स्थल से उपरोक्त संदिग्ध राशि लेकर दोनों एक ही वाहन अंकित शर्मा की मोटरसाईकिल नम्बर- MP 47 MJ 8022 पर बैठकर आने तथा श्री अंकित शर्मा के बेग सें 1,40,000 रू. अवैध संदिग्ध राशि प्राप्त कर अपने कब्जे में रखकर उक्त राशि पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखकर लेकर आने तथा अंकित शर्मा के बेग से बरामद होने एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया जाने से संदिग्ध आरोपीगण 1,अंकित शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 34 साल निवासी- प्लॉट नम्बर-12, मीणा कोलोनी, परशुराम नगर, थाना मानटाउन, जिलासवाई माधोपुर हाल किरायेदार श्री नवलकिशोर नागर का मकान, मकान नम्बर -9, न्यू नाकोडा कोलोनी बारां हाल सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां एवं 2. श्री रविकांत मीणा पुत्र श्री जसराम मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी- ग्राम लालारामपुरा तहसील टोडाभीम थाना बालघाट जिला करौली हाल निवास- उत्तम गुप्ता का मकान, बसंत विहार द्वादस ज्योतिर्लिंग कोलोनी, बारां हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां का उक्त कृत्य एक दिन चैक पीरियड आय से अधिक सम्पत्ति का पाया जाने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2) पीसी एक्ट एवं 61(2) बी.एन.एस. का प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया जाने से उक्त अवैध संदिग्ध राशि 1,40,000/- रूपये को जरिये फर्द दिनांक 28.08.2025 को पृथक से मय सफेद रंग का केरीबेग (थैली) सहित 500-500 के कुल 280 नोट कुल राशि 1,40,000 रू. जब्त कर एक पीले रंग के लिफाफे में रखवाकर कब्जा एसीबी लिया गया तथा जामा तलाशी में मिले रविकांत मीणा के रूपये 1075 एवं अंकित शर्मा के पास से मिले 1100 रू. को एक सफेद लिफाफे में रखवाकर जब्त कर कब्जा एसीबी लिया गया तथा दोनों व्यक्तियों के मोबाईल एक लिफाफे में अनशील्ड, अनुसंधान अधिकारी के अनुसंधान के क्रम में जब्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। तत्पश्चात दोनों के बेग में रखे हुये सामानों सहित बेग श्री अकिंत शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा को सुपुर्द किये गये। श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा को अग्रिम कार्यवाही/अनुसंधान में सहयोग हेतु हिदायत मुनासिब दी गई तथा आकस्मिक चैकिंग नियमानुसार ली जाकर फर्द आकस्मिक चैकिंग मुर्तिब कर गवाहान को दिखाई व पढाई गई, सभी ने पढकर सही होना मानकर संबधितो ने अपने अपने हस्ताक्षर किये।समय 10.26 पी.एम. पर स्वतंत्र गवाहान के समक्ष श्री योगेश कानि 291 से मोबाइल में लगे मूल मेमोरी कार्ड Sandisk 32 GB micro SDHC-1 में संरक्षित विडियो रिकॉर्डिंग को बिना छेड़छाड़/कांटछांट के सुरक्षित हालात में लेपटॉप से जोड़कर उसमें रिकॉर्ड वीडियो की हैस वैल्यू निकाली गयी। इसके पश्चात् 02 पेनड्राइव San Disk 32GB USB 2.0 DRIVE को लैपटाप में बारी-बारी से लगवाया जाकर खाली होना सुनिश्चित किया गया। इसके पश्चात उक्त 02 पेनड्राइव को बारी-बारी से लैपटॉप में डालकर आकस्मिक चैकिंग की विडियों रिकॉर्डिंग की मूल मेमोरी कार्ड से कॉपी की गयी। उक्त मूल मेमोरी कार्ड व दोनो पेनड्राइव को बारी-बारी से चैक किया जाने पर

विडीयों रिकॉर्डिंग संरक्षित /सेव/कॉपी होना सुनिश्चित किया गया। मूल मैमोरी कार्ड व एक पेनड्राइव को अलग-अलग कवर मे रखकर कवर को अलग-अलग सफेद कपडे की थैली में रखकर सील मोहर किया गया सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे एसीबी लिया जाकर बतौर वजह सबूत जप्त किया गया एवं एक पेनड्राइव को अनुसंधान अधिकारी हेतु अनुसंधान/अग्रिम कार्यवाही के प्रयोजनार्थ खुला रखा गया। फर्द जप्ती मूल मेमोरी कार्ड एवं कॉपी पेस्टशुदा 02 पेन ड्राइव मूर्तिब की जाकर सम्बन्धितो को पढकर सुनाई गई सुन समझ सही होना मान स्वीकार कर अपने -अपने हस्ताक्षर किये गये, समय 11.30 पी.एम. पर श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा को उनके सामानो सहित बेग मय मोटरसाईकिल नम्बर- MP 47 MJ 8022 सुपुर्द कर सकुशल रूखसत किया गया। श्री अंकित शर्मा सहायक अभियंता को निर्देशित किया गया कि श्री प्रेमचन्द उप अधीक्षक पुलिस एसीबी बारां के साथ हमराह जाकर स्वयं के किराये से निवासरत स्थान की खाना तलाशी में सहयोग करें।दिनांक 29.08.2025 समय 12.30 ए.एम. पर मन् उप अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय हमराह जाप्ता मय लेपटॉप प्रिन्टर मय आवश्यक सामग्री मय जप्तशुदा राशि 1,40,000 रू., रविकांत मीणा के पास से मिली अन्य राशि 1075 रूपये, अंकित शर्मा के पास से मिली अन्य राशि 1100 रू. तथा दोनों के अनशील्ड मोबाईलो के, मय चालक सरकारी वाहन से कार्यालय हाजा के लिये रवाना होकर समय 03.15 ए.एम. पर कार्यालय हाजा पंहुचा, पृथक पृथक लिफाफे मे जब्तशुदा राशि व मोबाईलो को श्री आशिक हुसैन सहायक उप निरीक्षक मालखाना प्रभारी को सुपुर्द कर मालखाने में सुरक्षित रखवायी गई। स्वतंत्र गवाहान को कार्यालय हाजा से रूखसत किया गया।दौराने आकस्मिक चैकिंग श्री अंकित शर्मा के कब्जेशुदा बेग से कुल राशि 1,40,000/रूपये मिली है। उक्त राशि के प्राप्ति स्त्रोत के बारे मे संदिग्ध श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा के द्वारा बताये गए तथ्यों की पुष्टि नहीं हुई है, उक्त राशि के प्राप्ति स्त्रोत के बारे मे संदिग्धों का जवाब संतोषजनक नहीं है। सूत्र सूचना व संदिग्धों द्वारा राशि के प्राप्ति स्त्रोत के बारे मे बताये गए तथ्यों के मुताबिक उक्त राशि संदिग्ध 1.अंकित शर्मा, सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां 2. श्री रविकांत मीणा, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां द्वारा भ्रष्ट आचरण कर अवैध व भ्रष्ट स्त्रोत से एकत्रित किया जाना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है। संदिग्ध श्री अंकित शर्मा एवं श्री रविकांत मीणा का उक्त कृत्य भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13 (1)(बी), 13(2), 12 पीसी एक्ट के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।अतः 1. अंकित शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 34 साल निवासी- प्लॉट नम्बर-12, मीणा कोलोनी, परशुराम नगर, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां 2. श्री रविकांत मीणा पुत्र श्री जसराम मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी- ग्राम लालारामपुरा तहसील टोडाभीम थाना बालघाट जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित) अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) (बी), 13 (2), 12 पीसी एक्ट में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते क्रमांकन प्रेषित है।(अनिष अहमद)पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अनिष अहमद पुलिस उप अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से आरोपीगण 1. अंकित शर्मा पुत्र श्री नन्दकिशोर शर्मा, जाति ब्राहमण उम्र 34 साल निवासी- प्लॉट नम्बर-12, मीणा कोलोनी, परशुराम नगर, थाना मानटाउन, जिला सवाई माधोपुर हाल सहायक अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड खण्ड बारां एवं 2. श्री रविकांत मीणा पुत्र श्री जसराम मीणा जाति मीणा उम्र 30 साल निवासी- ग्राम लालारामपुरा तहसील टोडाभीम थाना बालघाट जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, खण्ड बारां के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 13 (1) (बी), 13 (2), 12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) के में पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री मुकुल शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.यू. कोटा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 329 पर अंकित है।(पुष्पेन्द्र सिंह राठौड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1487-90 दिनांक 08-10-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित हैः-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बारां। 2- महाप्रबन्धक (प्रशासन), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर । 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.):** MUKUL SHARMA **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम):

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to**
(जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb Impression of the complainant / informant**
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 0[illegible]0/2025 1[illegible]9

15. **Date and time of dispatch to the court**
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	02/10/1991				
2	Male	04/06/1995				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)